न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/115/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/217
प्रवेश तिथि 06.09.2022

अपीलार्थी
श्री धनीराम पुत्र फतेहराम ,
निवासी–ग्राम व पोस्ट–दिवाकरी,
तहसील व जिला–अलवर

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 14.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला कलक्टर अलवर को प्रा0पत्र दिनांक: दिनांक: 01.07.22 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक: उपखण्ड अलवर में नगरीय क्षेत्र में गैर खातेदारी (कस्टोडियन) से खातेदारी की गई (पट्टा) राजस्व ग्रामवार सूची की प्रमाणित प्रति चाही गई थी जिसे राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, अलवर द्वारा पत्र सं0 लो.सू.अ./अन्तरण/2022/1778–79 दिनांक: 13.07.22 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रत्यर्थी कार्यालय को अन्तरित किया गया।
5. उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक: 22.08.22 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. सू.अ.अधि./2022/2278–79 दिनांक: 07.10.22 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
8. अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 01.07.22/04.07.22, प्रत्यर्थी के विनिश्चय–पत्र दिनांक: 07.10.22 एवं अपीलार्थी के अपील प्रा0पत्र दिनांक: 22.08.22 का परीक्षण किया गया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 01.07.22/04.07.22 में वांछित सूचना, पत्र दिनांक: 07.10.22 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है।
10. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। प्रथम अपील खारिज कर निस्तारित की जाती है।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

(जीतेन्द्रसिंह नरूका)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार